भारतीय रिज़र्व बैंक (कर्मचारियों को उपदान का भुगतान) नियमावली, 1947

[21 दिसम्बर 2018 तक संशोधित]

भारतीय रिज़र्व बैंक (कर्मचारियों को उपदान का भुगतान) नियमावली, 1947

जबकि बैंक के कर्मचारियों को उपदान (ग्रैच्युटी) दिये जाने संबंधी नियमों और शर्तों को परिभाषित करना वांछनीय है, केंद्रीय बोर्ड एतदद्वारा निम्नलिखित नियमों को अनुमोदन प्रदान करता है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों को भारतीय रिज़र्व बैंक (कर्मचारियों को उपदान का भुगतान) नियमावली, 1947 कहा जाएगा।

(2) इन्हें 1 अप्रैल 1946 से लागू समझा जाएगा।

व्याख्या करने की शक्ति

2. इन नियमों की व्याख्या करने की शक्ति गवर्नर (इस अभिव्यक्ति में एक उप गवर्नर और एक कार्यपालक निदेशक शामिल होंगे) में निहित होगी, जो इन नियमों को लागू करने के संबंध में आवश्यक प्रशासनिक निर्देश जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं।

परिभाषाएँ

3. इन नियमों में, जब तक कि इस विषय या संदर्भ में कुछ भी असंगत न हो–

(1) "वेतन" का अभिप्राय सेवानिवृत्ति की तारीख को धारित ग्रेड में एक कर्मचारी के लिए स्वीकार्य "वेतन" से है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) मूल वेतन,
(ii) स्थानापन्न वेतन,
(iii) विशेष वेतन,
(iv) वैयक्तिक वेतन,
(v) विशेष वैयक्तिक वेतन, और
(vi) केंद्रीय बोर्ड द्वारा 'वेतन' के रूप में वर्गीकृत कोई अन्य परिलब्धियां।

(1A) "महंगाई भत्ते" का अर्थ है भारिबैं (स्टाफ) विनियमावली, 1948 के विनियम 71 के साथ पठित परिशिष्ट II के खंड 4, पैरा 9 में दिया गया भत्ता।

(2) "सेवानिवृत्ति की तारीख" का अभिप्राय है-

(क) उस कर्मचारी के मामले में जो सेवानिवृत्त होता है या अपनी सेवा की शर्तों और नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त हुआ है, जिस तारीख को वह सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त हुआ है;

(ख) किसी अन्य कर्मचारी के मामले में, जिस तारीख से वह बैंक की सेवा में नहीं रहता है, और अभिव्यक्ति “सेवानिवृत्ति की तारीख” तदनुसार समझी जाएगी।

(3) "बैंक में सेवा" में -

(क) किसी कर्मचारी की सेवा स्थायी होने से पहले की गयी निरंतर अस्थायी सेवा की अवधि शामिल है;

(ख) उस अवधि को शामिल किया जाता है जिसके दौरान कोई कर्मचारी ड्यूटी पर रहता है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत छुट्टी पर रहता है;

(ग) उस अवधि को शामिल नहीं किया जाता है जिसके दौरान कर्मचारी बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है या अपनी छुट्टी बढ़ा लेता है, जब तक कि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति न प्रदान कर दी जाए;

(घ) बैंक की पूर्णकालिक सेवा में अपनी नियुक्ति / समावेश के तुरंत पहले कर्मचारी द्वारा की गई अंशकालिक सेवा शामिल की जाती है, यह इस तरह की अंशकालिक सेवा के दौरान मजदूरी की लागू दर/दरों के अनुपात में होगी जिस प्रकार किसी अंशकालिक कर्मचारी को बैंक की पूर्णकालिक सेवा में समावेश करने पर वेतन का निर्धारण किया जाता है।

(ङ) अपने पूर्व नियोक्ता के तहत अपनी सेवा आरंभ होने की तारीख को स्थानांतरित कर्मचारी के मामले में प्रारम्भ समझा जाएगा।

(4) “मूल वेतन” का अभिप्राय उस वेतन से है जिसके लिए कर्मचारी द्वारा मूल रूप से धारित पद के लिए लागू वेतनमान में वह हकदार है।

(5) "हस्तांतरित कर्मचारी" का वही अर्थ होगा जिस रूप में ‘भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमावली’ में निर्दिष्ट है।

<u>प्रदान करने की शर्तें</u> 4. अनुवर्ती नियमों में निहित नियम व शर्तों और अन्य प्रावधानों के अधीन, उपदान किसी स्थायी कर्मचारी को बैंक में उसकी सेवा के समापन के पश्चात या नियम 7 के अनुसार निर्धारित ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को उपदान प्राप्त होने से पूर्व मृत्यु की स्थिति में प्रदान की जाएगी; लेकिन इन नियमों में स्थित किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि उससे बैंक के किसी भी कर्मचारी को कोई अधिकार अथवा लाभ प्राप्त होगा जिसकी बैंक की सेवा में नियुक्ति पर उस करार की शर्तें लागू होती हैं जिनमें यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि बैंक में उसकी सेवा निश्चित अवधि के लिए ही है।

<u>कब स्वीकार्य नहीं</u> 5. (1) यदि कोई कर्मचारी न्यूनतम दस वर्ष की अवधि की बैंक सेवा पूरी नहीं करता है तो उसे कोई उपदान प्रदान नहीं किया जाएगा;

(2) उप-नियम (1) में किसी भी बात के निहित होने के बावजूद, उपदान उस कर्मचारी को या के मामले में दिया जाएगा जिसने कम से कम दस वर्ष की बैंक सेवा पूरी नहीं की है, यदि -

(i) बैंक की सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है; या

(ii) वह शारीरिक या मानसिक दुर्बलता होने पर प्रमाणित स्थायी अक्षमता के कारण या संस्था में छंटनी होने के कारण उसकी नियुक्ति समाप्त होने पर सेवानिवृत्त हुआ हो या सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता हो;

अथवा

(iii) बैंक द्वारा बैंक में उसकी सेवा को संस्था में छंटनी होने के अलावा किन्हीं कारणों से समाप्त कर दिया गया हो।

<u>स्वीकार्य राशि</u>

6. नियम 5 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी कर्मचारी को स्वीकार्य उपदान की राशि निम्नानुसार होगी -

(क) सेवा के प्रारम्भिक 20 वर्षों के लिए बैंक में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या इसका भाग जो 6 महीनों से अधिक होगा, के लिए एक माह के वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर, अधिकतम 20 महीनों के वेतन के साथ-साथ महंगाई भत्ता या रु. 18,00,000/- की धनराशि, जो भी कम हो;

(ख) 20 वर्षों से अधिक की सेवा के लिए बैंक में प्रत्येक पूर्ण वर्ष या इसका भाग जो 6 महीनों से अधिक होगा, के लिए आधे माह के वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर की अतिरिक्त राशि।

<u>कुछ मामलों में कम की हुई राशि का भुगतान</u>

6क (1) किसी कर्मचारी को देय उपदान राशि का निर्धारण करते समय बैंक ऐसे कर्मचारी की अक्षमता या कदाचार के कारण बैंक को हुई वित्तीय हानि को ध्यान में रखते हुए उपदान की राशि कम प्रदान कर सकता है।

बशर्ते कि पूर्ववर्ती नियमों के अंतर्गत आमतौर पर स्वीकार्य उपदान राशि और इस प्रकार कम की गयी उपदान राशि का अंतर बैंक को हुई वित्तीय हानि की राशि से अधिक न हो।

(2) जब तक मंजूरी प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अन्यथा अनुमति नहीं दी जाती है, जहां बैंक द्वारा किसी कर्मचारी को आवास आबंटित या प्रदान किया गया है, कर्मचारी को या उसके माध्यम से या अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई उपदान देय नहीं होगा, जब तक ऐसा कर्मचारी या उसके माध्यम से या अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, आवास आबंटित किए जाने संबंधी नियमों और शर्तों का पूरी तरह से संतोषजनक पालन करने के बाद आवास को खाली करके बैंक को सौंपने की व्यवस्था नहीं करता है।

(3) किसी कर्मचारी से या उसके मामले में देय या उससे वसूली-योग्य राशि या बैंक द्वारा दिये गए आवास के संबंध में किराया या देय अन्य राशि के संबंध में बैंक को देय बकाया राशि या बैंक द्वारा दिये गए किसी ऋण या अग्रिम या किसी अधिक भुगतान या बैंक को होने वाली किसी भी देयता, हानि या व्यय कर्मचारी से या कर्मचारी के मामले में मंजूर किए गए उपदान की राशि से कटौती की जा सकती है।

(4) पूर्ववर्ती नियमों में किसी भी बात के निहित होने के बावजूद इस नियम के प्रावधानों का प्रभाव रहेगा।

<u>कर्मचारी की मृत्यु के मामले में भुगतान</u>

7. उपदान की प्राप्ति से पहले किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उपदान की राशि का भुगतान निम्नलिखित को किया जाएगा -

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमावली के विनियम 15 के अनुसार कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्ति या जिसे उक्त विनियमावली के विनियम 20(iii) के तहत नामित किया हुआ माना जाएगा; और यदि इस प्रकार नामित या नामित माने गए व्यक्ति एक से अधिक हैं तो उपदान की राशि उसी अनुपात में वितरित की जाएगी जिसमें कर्मचारी ने भविष्य निधि में अपनी जमा राशि को वितरित किया है; और यदि कर्मचारी भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमावली 1935 के अंतर्गत नहीं आता है, तो उपदान भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नामित व्यक्ति या व्यक्तियों को उपदान उसी अनुपात में देय होगा जिसमें कर्मचारी ने नामांकन में दर्शाया हो; तथा

(ख) यदि ऐसा कोई नामांकन नहीं किया गया है या पहले से मौजूद नहीं है, तो किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को उपदान की राशि का भुगतान किया जाएगा और किस अनुपात में उनके बीच राशि वितरित की जाएगी, इसका निर्धारण बैंक के केंद्रीय बोर्ड या गवर्नर, उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक या मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन-परिचालन इकाई, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय) द्वारा किया जाएगा।

<u>कर देयता</u>

8. प्रदान किए गए उपदान पर कर्मचारी द्वारा वहन किए जाने वाले कर को कर-योग्य उपदान के उस हिस्से तक सीमित रखा जाएगा जितना बैंक की संशोधित सीमा और बैंक की पिछली सीमा की राशि के अंतर के बराबर है जिसे बैंक द्वारा प्रदान किए गए कुल उपदान द्वारा विभाजित किया जाता है और शेष कर बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।